1573-613
23/9/201

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2011 / DCE / 1802-III / 1573-613 दिनांक 23 सितम्बर, 2011

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 16 सितम्बर, 2011 को अपरान्ह 12.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 18 अगस्त, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 18 अगस्त, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 2 :: विवेक विहार योजना के संबंध में विचार विमर्श।

विवेक विहार योजना में भूखण्ड आवटन के लिए दिनाक 9 सितम्बर, 2011 को उम्मेद स्टेडियम में जन प्रतिनिधिगणों एव अध्यक्ष प्राधिकरण महोदय की मौजूदगी में निकाली गयी थी। उक्त लॉटरी में विभिन्न श्रेणियों के भूखण्ड आवंटन किये हुए हैं। लॉटरी प्रकिया के परिणाम दिखाने वाली तालिका में यह स्पष्ट रूप से अकित किया गया था कि The lottery is being drawn on the basis of facts given in the application form by the applicants The facts have not been verified / scrutinized by the Jodhpur Development Authority. If later on, the facts mentioned in the application form are found to be incorrect or found hidden, allotment will be cancelled and applicant's name will be deleted from the list. The result of the lottery and allotment subsequent to the lottery shall be subjecte to decision of Hon'ble High Court in pending writ petition No 6383/2011 and other pending court matters. लॉटरी प्रकिया में पूर्व में विभिन्न 11 निर्धारित बैंकों में आवेदकों से आवेदन दिनाक 20 अगस्त, 2011 तक लिये गये थे। प्राप्त आवेदन–पत्रों की राजकॉम द्वारा तैयार किये गये साफ्टवेयर में ऑन लाईन फीडिंग किया जाना एव प्राप्त आवेदन–पत्र साप्ताहिक रूप से जमा कराये जाने कार्दायित्व उक्त बैंको का रखा गया था। इसके लिए बैंकों के साथ एम.ओ.यू. किया गया है। प्राधिकरण कार्यालय में विभिन्न बैंको को एवं सीधे प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों की प्रारम्भिक / सरसरी जांच के लिए बैंकवार कुल 11 दल बनाये गये एवं इसके लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री विजयकुमार सोनेजी की अध्यक्षता में पृथक से एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। उक्त 11 जाच दलों को एक एक कनिष्ठ अभियन्ता आवश्यकतानुसार लिपिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की सुविधा दी गयी थी ताकि आवेदन–पत्रों की सरसरी जाच में सामने आने वाली त्रुटियों का शुद्धिकरण ऑन लाईन साफ्टवेयर में किया जा सके। दिनांक 2 सितम्बर, 2011 को प्राधिकरण कार्यालय में पदस्थापित समस्त आयुक्तगण, अभियन्तागण, तहसीलदारगण, लेखा कर्मी, लिपिक एवं सचिव को लगाया गया था। विभिन्न बैंकों में प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों एव ऑनलाईन साफ्टवेयर में फीडिंग किये जाने एव प्राधिकरण कार्यालय में जमा करा दिये जाने के संबंध में बैंक के नोडल प्रबन्धकों से लिखित प्रमाण–पत्र लिया गया है कि उनके

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

या उनके अधीनस्थ शाखाओं का निर्धारित तिथि तक प्राप्त कोई भी आवेदन–पत्र फीडिंग किये जाने एवं जमा कराये जाने से शेष नहीं है। कार्यकारी समिति द्वारा पूर्व में ही दिनाक 19 मई, 2011 की बैठक में स्थायी लॉटरी समिति गठित कर दी थी, उस समिति के सदस्यो की मौजूदगी में दिनाक 9 सितम्बर, 2011 को लॉटरी निकाली गई है। प्राधिकरण द्वारा योजना की बुकलेट जिसमें लॉटरी तिथि का भी उल्लेख है दिनांक 23 जून, 2011 में बाद अवलोकन अनुमोदन कर दिया था। लॉटरी का परिणाम प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है। लॉटरी के परिणाम के संबंध में कतिपय आवेदको द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये गये है। उक्त आवेदन–पत्रों के निराकरण किये जाने के लिए प्रकरण निम्न अनुसार प्रस्तुत हुआ–

1– भूखण्ड का आकार 195.1 वर्ग मीटर वाले वर्ग में कुल भूखण्ड 608 विज्ञापित किये गये थे। लॉटरी में उक्त आकार वर्ग के 475 भूखण्डों का ही आवंटन हुआ है। उक्त श्रेणी में सैनिक वर्ग के 53, अनुसूचित जाति वर्ग के 37, अनुसूचित जन जाति वर्ग के 30, निशक्तजन के 10, पत्रकार वर्ग में 3 भूखण्ड इस प्रकार कुल 133 भूखण्डों का आवंटन कम हुआ है। उक्त भूखण्डो के आवंटन के लिए वर्गवार शेष रहे आवेदको के लिए लॉटरी निकाली जानी है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से दिनाक 28 सितम्बर, 2011 को शेष रहे भूखण्डों के लिए अवशेष पात्र आवेदकों में से कम्प्यूटर से लॉटरी निकाली जावे।

2– कतिपय आवेदकों द्वारा अपने वास्तविक वर्ग के बजाय अन्य आरक्षित वर्ग में आवेदन करने एवं लॉटरी में उनके सफल होने की स्थिति भी सामने आयी है। ऐसे प्रकरणो में बैंक द्वारा की गयी गलत फीडिंग भी एक कारण है। गलत वर्ग में आवेदन करने वाले आवेदकों के भूखण्ड आवंटन निरस्त कर पंजीकरण राशि जब्त किया जाना प्रस्तावित है एवं बैंक के द्वारा की गयी फीडिंग की गलती के कारण आरक्षित वर्ग में आने वाले आवेदको से उनके वास्तविक वर्ग में आवंटन किये जाने प्रस्तावित है। इस बिन्दु में अंकित कारणों से वर्ग विशेष के रिक्त हुए भूखण्डो के उसी वर्ग के लोगों में आवंटन किये जाने के लिए भी लॉटरी किया जाना प्रस्तावित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ऐसी गलत सूचना देने वाले व गुमराह करने वाले आवेदकों के आवेदन रद्द कर जमानत राशि जब्त की जावे एवं रिक्त होने वाले भूखण्डों के लिए दिनाक 28 सितम्बर, 2011 को शेष पात्र आवेदकों में से कम्प्यूटर से लॉटरी की जावे।

3– भूखण्ड आकार 92.60 वर्ग मीटर वाले वर्गों में कम्प्यूटर त्रुटि के कारण गलत भूखण्ड संख्या अंकित हुआ है। उक्त भूखण्ड संख्या में संशोधित किये जाने के लिए भी लॉटरी किया जाना प्रस्तावित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से दिनाक 20 सितम्बर, 2011 को इसके लिए लॉटरी की जावे एवं उपरोक्त गलतियो (क्रम संख्या 1 व 3) के लिए दोषी राजकीय अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

4– सफल आवेदको के आवेदन–पत्रो की गहनता से जांच किये जाने के लिए प्राधिकरण सचिव, अभियन्तागण, वरिष्ठ लेखाधिकारीगण, अधीक्षण अभियन्ता, निदेशक–लेखा एवं निदेशक–विधि, तहसीलदारगण एवं लिपिकगण को लगाया गया है। कतिपय आवेदकों द्वारा आवेदन–पत्रों में मूल निवास प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां लगायी है। जिन कमियों को पूर्ण करने के लिए संबंधित आवेदकों को वांछित दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस जारी किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति पूर्व योजनाओं की भांति 15 दिवस में वांछित दस्तावेज पेश किये जाने के लिए एक अवसर दिया जावे। नोटिस के बावजूद भी दस्तावेज पेश न करने पर आवेदन खारिज किया जावे।

5— विवेक विहार योजना की लॉटरी प्रकिया से संबंधित विभिन्न आवेदको की परिवेदनाओं को प्राप्त करने एव उनके निराकरण के संबध में सुझाव प्रस्तुत किये जाने हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयुक्त महोदया द्वारा जारिये आदेश कमांक 1914—20 दिनाक 9 सितम्बर, 2011 द्वारा कमेटी गठित की गयी है। जो समिति आवेदको से प्राप्त परिवेदनाओं का परीक्षण कर दिनांक 20 सितम्बर, 2011 तक अपनी तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जिसे आगामी कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक मे प्रस्तुत किया जावेगा।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को यथासम्भव राजीव गाँधी नगर योजना के लिए निर्णयानुसार प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

6— विवेक विहार योजना की लॉटरी की सूची व परिणाम कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा दिनाक 8 सितम्बर, 2011 व दिनांक 9 सितम्बर, 2011 को हुई लॉटरी प्रकिया, परिणामों एव शुद्धिकरण हेतु प्रस्तावित की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

7— विवेक विहार योजना की अवाप्त सुदा भूमि के नकद मुआवजे के बदले देय विकसित भूमि के मुआवजे की लॉटरी के परिणाम समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। इस सबध में दिनाक 16 सितम्बर, 2011 तक अवार्डधारकों से परिवाद चाहा गया है एव प्राप्त परिवादों की जांच हेतु कमेटी गठित की गयी है। जिसके संबध मे रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को आगामी बैठक में सुझाव सहित प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही बैठक मे विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनाक 28 सितम्बर, 2011 से पहले कौन—कौन से वर्ग में कितने कितने भूखण्ड रिक्त हो रहे हैं उनकी सूची लेकर वेब—साईट पर डाली जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: राजीव गांधी आवासीय योजना, रामराज नगर, दन्तोपंथ ठेंगडी नगर आदि आवासीय योजना में भूखण्डों की बकाया कीमत राशि मय ब्याज व शास्ति के जमा कराने की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनाक 13 जुलाई 2011 मे निर्णय लिया गया कि राजीव गाधी नगर योजना मे दिनाक 15.02.2010 को भूखण्डो के आवटन हेतू लॉटरी कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवाने हेतू आवंटन पत्र जारी किये गये थे। आवटी को आवटन पत्र प्राप्ति के 30 दिवसो मे भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवानी आवश्यक थी। पश्चात आगामी 60 दिवसो में आवटी 15 वार्षिक ब्याज से राशि जमा करवा सकता

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

था। ब्याज आवटन पत्र जारी करने की तिथी से दय होगा। आवटन पत्र जारी होने के 90 दिवस मे राशि जमा नही कराने पर भूखण्ड स्वतः निरस्तीकरण की भाषा में आ जाता है। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) (पप) के अनुसार उक्त स्वतः रद् करने की तिथी से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सभापति के पास भूमि का ऐसा आवटन नियमित करने की कोई शक्ति नही होगी, लेकिन न्यास के पास आवंटीत द्वारा भूमि के लागत की राशि और खण्ड एक मे उपबंधित अनुसार ब्याज और शास्ती भुगतान करने पर एक वर्ष की और अवधि बढाने की शक्ति होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनाक 09.06.2009 के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में जहा न्यास अंकित है वे समस्त वे समस्त शक्तियां कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त है।

पूर्व की बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे आवंटी जिनके भूखण्ड को स्वतः निरस्तीकरण की तिथि (आयंटन–पत्र की तिथि से 90 दिवस) से 1 वर्ष या अधिक अवधि गुजर चुकी है और उनके द्वारा देय राशि जमा नहीं करायी गई है और अब राशि जमाकराना चाहते है, को अन्तिम अवसर के रूप में दिनाक 31 अगस्त, 2011 तक का समय दिया जावे। यदि उक्त तिथि तक उनके द्वारा देय राशि मय शास्ति व ब्याज जमा नहीं कराई जाती है, तो उन्हे लीज डीड जारी नहीं किया जावेगा। संबधित बकायादारों को इस बाबत नोटिस जारी किया जावे व समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जावे। बाकीदारों की सूची, बकाया राशि की गणना फार्मूला व बकाया राशि का विवरण नागरिक सुविधा केन्द्र पर व प्राधिकरण की वेबसाईट पर संबंधित उपायुक्त दिनांक 30 जुलाई, 2011 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। उक्त तिथि तक बकाया राशि जमा कराने पर भूखण्ड आवंटन का नियमितीकरण कर लीज डीड जारी किया जावे। ऐसी ही प्रकिया स्वतः निरस्तीकरण तिथि से 1 वर्ष तक की अवधि वाले प्रकरणों में अपनायी जावे।

इस कम में काफी आवेदको द्वारा राशि मय ब्याज व शास्ति के जमा कराने हेतु आवेदन किया है लेकिन अभी भी काफी आवेदकों द्वारा भूखण्ड की बकाया कीमत राशि मय ब्याज व शास्ति के जमा कराने हेतु कार्यालय में सम्पर्क किया जा रहा है। अतः उक्त अवधि बढ़ाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक मे बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी नगर के आवटियो को दय राशि जमा कराने हेतु दिनाक 31 अक्टूबर, 2011 तक के लिए एक अन्तिम अवसर उपलब्ध कराया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: भदवासिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले दुकानदारों को दुकान के बदले दुकान आवंटन के करने के संबंध में विचार विमर्श

प्रस्तावित भदवासीया रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण स्टेट साइकिल सवार ट्रस्ट, मंडोर रोड जोधपुर की भूमी पर वर्तमान मे काबिज व्यापारीगणो की दस दुकाने, श्रीगणेश मंदिर एव प्याउ आदि की भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है । इस बाबत् सम्पर्क करने पर वर्तमान में काबिज समस्त व्यापारियो ने समान क्षेत्रफल की नई दुकाने बनाकर पुर्नस्थापित करने की स्थिति मे वर्तमान काबिज क्षेत्र को प्रस्तावित ओवर ब्रिज के लिए देने पर अपनी सहमति को प्रस्तुत की ।

वर्तमान काबिज दुकानदारो को विभाग द्वारा निम्नानुसार स्थानो की प्रस्तावना दी गई :

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

अ मंडोर रोड पर नरपत पट्रोल पम्प के पास अथवा
ब मंडोर रोड पर ही ग्राम मंडोर के खसरा नं.1608 की रिक्त भूमि जो छोटी पहाड़ी के रुप में स्थित

परन्तु दुकानदारो के उक्त् दोनो ही स्थानो के लिए सहमत नही होने की स्थिति मे विभाग द्वारा कृषि उपज मण्डी मे पानी की टकी के पास स्थान प्रस्तावित किया गया। उक्त स्थान के लिए समस्त व्यापारीगणो ने सहमती व्यक्त की। (दुकानदारो के पत्र दिनाक 26 अगस्त, 2011 बिन्दु स. 8 से 13)।

मण्डी में उक्त स्थान पर लगभग 30 दुकानो (साइज 3मी. X 5.40मी.) का निर्माण किया जाना सम्भव है ।

स्टेट साइकिल सवार ट्रस्ट, मंडोर रोड जोधपुर की भूमी पर वर्तमान में काबिज दस दुकानदारो द्वारा निम्न बिन्दुओ पर लिखित में आश्वासन के लिए निवेदन किया गया है –

क स	दुकानदारो द्वारा वांछित आश्वासन	विशेष विवरण
1	कृषि उपज मण्डी फल सब्जी मण्डी मे अनाज मण्डी रोड से शरु करते हुए पानी की टकी के पास व धर्म कांटे तक व उसके पास रिक्त स्थान है ।	कृषि उपज मण्डी फल सब्जी मण्डी में उक्त भूमि प्रस्तावित दुकानो के निर्माण के लिए अधिहित की जा कर कार्य शुरु किया जा चुका है।
2	अब ट्रस्ट के सभी दुकानदार उपरोक्त स्थान पर दुकाने बनाकर देने हेतु सहमति व्यक्त करते है ।	विभाग द्वारा लगभग 30 दुकाने बनाया जाना प्रस्तावित है ।
3	अत. श्रीमान् आयुक्त महोदया से नम्र निवेदन है कि आप उपरोक्त स्थान पर लगातार 10 दुकाने व श्रीगणेश मंदिर एव प्याउ निर्मित कराकर हमे पुन. दिलवाने का कष्ट करावें ।	उक्त दुकानो मे से प्रथम 10 दुकाने लगातार मंदिर एवं प्याउ ट्रस्ट के वर्तमान काबिज दुकानदारो को दिया जाना प्रस्तावित ।
4	आयुक्त महोदयाजी आपसे नम्र निवेदन है कि वर्तमान मे हमारी दुकानों का जो माप है, उसी माप की दुकाने व मंदिर एव प्याउ बनाकर ही हमे प्रदान करावे ।	स्वीकृत किया जा सकता है । परन्तु यदि किसी व्यापारी की वर्तमान काबिज दुकान का क्षेत्रफल प्रस्तावित पुर्नवासित दुकान के क्षेत्रफल से कम है, तो अधिक क्षेत्रफल का नियमानुसार भुगतान करना होगा ।
5	चूंकि हमारी वर्तमान दुकानो के नीचे बेसमेट है तथा वर्तमान जानकारी के नई दुकानों के नीचे बेसमेन्ट बनाना सम्भव नही है । अत आप हमे हमारी दुकानो पर प्रथम मंजिल निर्माण की भी अनुमति प्रदान करावे ।	विभाग द्वारा भूतल पर दुकान बनाकर देते हुए सम्बन्धित दुकानदार को प्रथम तल बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ।

अत: इस सबध मे निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कृषि उपज मण्डी में उपलब्ध होने वाली भूमि में बनायी जाने वाली प्रथम 10 दुकानें उक्त साईकिल सवारसंघ को विनिमय में दिये जाने का निर्णय आगामी प्राधिकरण बैठक के अनुमोदन के अधीन रखते हुए निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: वाम्बे योजना हेतु लॉटरी की तिथि तय करने के संबंध में।

विष्णु कॉलोनी चादणा भाकर नाले मे स्थित 30 परिवारों को पुनः बसाने हेतु वाम्बे योजना तैयार की गयी है जहां भूखण्डों के आकार एवं स्थान निश्चित किय गय है। जिसकी स्वीकृति नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रदान की गई है। केवल मात्र 30 परिवारों की पुनर्वास हेतु लॉटरी निकालने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से दिनाक् 23 सितम्बर, 2011 को तत्संबधी लॉटरी निकालने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: कीर्तिनगर योजना सेक्टर बी के आवंटियों को पुनर्स्थापित हेतु सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु लॉटरी की तिथि तय करने के संबंध में।

नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा वर्ष 1989 में कीर्तिनगर योजना प्रकाशित की गई थी जिसमें सेक्टर बी में करीब 200–225 आवंटियो को कतिपय विवादों के कारण भूखण्डों का कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो सका जिस पर प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया कि कीर्तिनगर सेक्टर बी में कब्जा प्राप्त करने से वंचित आवंटियों को जोधपुर विकास प्राधिकरण की अन्य योजना यथा सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना में उपलब्ध स्थान पर समान आकार के भूखण्डो के मुताम लगाकर लॉटरी से आवंटित किये जावे। इस आवटन हेतु तिथि निश्चित करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनाक 19 अक्टूबर, 2011 को तत्संबधी लॉटरी निकाली जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित 3 चौराहे को सीमेंटेड करने हेतु।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्षेत्र में स्थित तीन चौराहे यथा जालोरीगेट, 5वी रोड एवं पाच बत्ती चौराहे वर्षा के दौरान पानी के अत्यधिक बहाव के कारण आदतन क्षतिग्रस्त होते है इनके स्थायी समाधान हेतु तीन इन चौराहो के चारों तरफ सीमेन्ट की सडक अर्थात् सीमेन्टेड चौराहे निर्मित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जालोरीगेट, पांचवी रोड एवं पाचबत्ती चौराहे को सीमेन्टेड सर्कल तैयार किये जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1573-613
23/9/11

क्रमांक / बैठक / 2011 / DCE/ /1802-III/ — दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्रतिलिपि:—

01 प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02 जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03 जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
04 आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम जोधपुर
05 मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जोधपुर
07 प्रबन्धक, निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08 प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10 उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11 निदेशक, अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12 निदेशक नगर नियोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13 निदेशक, वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. निदेशक, विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15 निजी सचिव (आयुक्त / अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर — वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
17 उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण JDA
18 अधिशाषी अभियन्ता JDA जोधपुर
19- अधिशाषी अभियन्ता E/W/N/S/HQ/ Elect: JDA जोधपुर
20. [illegible] अधिकारी JDA जोधपुर

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1573-613.
23-9-2011

<u>परिशिष्ट–1</u>

दिनांक 16 सितम्बर, 2011 को अपरान्ह 12.00 बजे श्रीमती आनन्दी, आयुक्त महोदया एवं अध्यक्ष महोदया, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:

1. श्री के.सी. गोदावी, जोनल मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
2. श्री ए.पी. खत्री, निदेशक–अभियान्त्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री ओ.पी. बैरवा, प्र. प्रशासन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री करणीसिंह, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात पुलिस, जोधपुर
5. श्री डॉ. बी.सी. घासल, अति. कलक्टर–शहर, जोधपुर
6. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्री नरेन्द्र कुमार बसल, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्रीमती अजरा, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री रामलाल, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपु
10. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री एच.एल. अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor